



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,  
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर  
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre\_rdd@yahoo.com)



कमांक: एफ 40(18)ग्रावि/नरेगा/तकनीकी प्रकरण/पार्ट-11/2010 जयपुर, दिनांक: 19 DEC 2022  
जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग किए जा रहे इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक की स्ट्रेन्थ टेस्ट के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय पत्र दिनांक 24.01.2012, 04.05.2012 एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, अनुभाग-5 का आदेश कमांक एफ 27(254) ग्रावि/गुप-5/जीकेएन/2015-16 दिनांक 10.08.2016।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक सड़क निर्माण के कार्यों हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तर की समीक्षा बैठकों में निरीक्षण दलों की प्रस्तुत रिपोर्ट में पाया गया है कि इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक सड़क निर्माण कार्यों का भुगतान इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक की स्ट्रेन्थ टेस्ट करवाए बिना ही किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भी इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक सड़क निर्माण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि विभागीय प्रासंगिक निर्देशों की पालना नहीं हो रही है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक सड़क निर्माण के कार्यों में इन्टर लॉकिंग टाईल्स ब्लॉक की स्ट्रेन्थ टेस्ट की रिपोर्ट (जिसमें यह भी अंकित हो कि ब्लॉक्स का निर्माण आई.एस मापदण्ड के अनुरूप है) आपूर्तिकर्ता से प्राप्त कर उपयोग में लिए जावे तथा पूर्व निर्देशानुसार लैब से पुनः रेण्डम जांच करवाई जावे। रिपोर्ट निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त होने पर ही तदनुसार भुगतान की कार्यवाही की जावे। इन निर्देशों की पूर्णरूप से पालना सुनिश्चित की जावे।

(शिवांगी स्वर्णकार)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।
7. प्रोग्रामर, ईजीएस को नरेगा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस